



4-2000-10 लाख फा.

FORM No. III

APP
Ctrl

फर्द अहकाम
(नियम 26)

कलेक्टर मुकाम बांटीकुई
बनाम राजेश कुमार
जमा आपस के बीच 128 L.R. No. नं० 89/2024 सन 2024

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30th फावली पेम्बहुरी वकील जामगिन अपना हलदी नोटिस अजामाई कड तामील जाह। अजामाई अवकूड जमीन अजो नही। कर्मवादी एकपक्षीय चीकरी है जामगिन पर वकील जामगिन बहस हुनी। फावली के फावलीकर्म किया। बहस जामगिन वकील पर मनन करे एवं फावली के फावलीकर्म के फावली पर जामगिन पर स्वीकार किया जाव है विस्तृत गिनती सुफक में लिखा जाकर शामिल फावली किया जाव। फालगु हेतु हटनीमदार फावलीकर्म हथीरकारी है। फावली फावलीकर्म हुकर कड तकनील दाखिल कर्म है। 24th 30.7.24	

दौसा

आशय
90 कि
चूपाडा
खसरा
मे भूमि
धारित
आपस
रत में
प्र के
0.15
मे ने
गा है।
गां के
स्टेयर
न के
रकबा
ग नं.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण संख्या 89/2024

प्रकरण दायर दिनांक 13.06.2024

प्रकरण निर्णय दिनांक 30.07.2024

उनवान

बोदन पुत्र जैरवा

रामसहाय पुत्र जैरवा

समस्त जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी पीचूपाडा कलां तहसील बांदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा

“ प्रार्थना पत्र पत्थरगढी करवाने बाबत अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट ”

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय से प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खाता संख्या नया 91 पुराना 90 कि खसरा नं. 1121/910 चाही ए रकबा 0.15 हैक्टेयर वाके रामा पीचूपाडा कलां पटवार हल्का पीचूपाडा कलां भूअ.नि. क्षेत्र पीचूपाडा खुर्द तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 1121/910 रकबा 0.15 हैक्टेयर के लगती हुई अन्य खातेदारान की भूमि है तथा प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 1121/910 रकबा 0.15 हैक्टे. व अन्य खातेदारान की भूमि के मध्य कोई सीमा चिन्ह निर्धारित नहीं है इस कारण अन्य खातेदारान व प्रार्थीगण के मध्य अपनी-अपनी भूमि की सीमा को लेकर आपस में विवाद उत्पन्न होते रहते हे तथा संगीन झगडा फिसाद की संभावना बनी रहती है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण द्वारा अपनी कब्जेकाश्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1121/910 रकबा 0.15 हैक्टेयर के सीमाज्ञान के लिए आवेदन करने पर दिनांक 20.05.2024 को आराजी खसरा नं. 1121/910 रकबा 0.15 हैक्टेयर का सीमाज्ञान मौके पर पटवारी हल्का पीचूपाडा कलां व अन्य राजस्व कर्मचारियों की टीम ने प्रार्थीगण की उपस्थिति में भूमि खसरा नं. 1121/910 रकबा 0.15 हैक्टेयर का सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 1121/910 रकबा 0.15 हैक्टेयर वाके ग्राम पीचूपाडा कलां के दिनांक 20.05.2024 को किये गये सीमाज्ञान के अनुसार भूमि खसरा नं. 1121/910 रकबा 0.15 हैक्टेयर की पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिससे प्रार्थीगण व प्रार्थीगण की भूमि के अन्य पड़ोसी खातेदारान के मध्य किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न ना हो व प्रार्थीगण अपनी भूमि खसरा नं. 1121/910 रकबा 0.15 हैक्टेयर पर शांतिपूर्वक काश्त कर लाभान्वित हो सके इसलिए प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं.

अथ

21/5/24
24/5/24
h.m

89
2024 विविध-



1121/910 रकबा 0.15 हैक्टेयर की पत्थरगढी तहसीलदार बांदीकुई व पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में करवाया जाना आवश्यक है जिससे प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 1121/910 रकबा 0.15 हैक्टेयर की सीमा के विवाद को हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1121/910 रकबा 0.15 हैक्टेयर वाले ग्राम पीचूपाडा कला तहसील बांदीकुई की डौल पर पत्थरगढी का आदेश तहसीलदार बांदीकुई को जारी फरमाया जावे एवं शीघ्र ही बझमदाद पुलिस पत्थरगढी के आदेश की पालना फरमाई जावे।

प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जयें नोटिस विधिवत की गयी। अप्रार्थी बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात व मौका पर्चा ग्राम पीचूपाडा कलों दिनांक: 20.05.2024 का अवलोकन किया। राजस्व जमाबंदी संवत् 2073-2076 ग्राम पीचूपाडा कलों खाता सं. नया 91 पुराना 90 के प्रार्थीगण रिकार्ड्ड खातेदार काश्तकार हैं। मौका पर्चा ग्राम पीचूपाडा कलों दिनांक: 20.05.2024 के अनुसार भूमि खसरा नं. 1121/910 रकबा 0.15 हैक्टेयर का सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थीगण को एल.आर. रकट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर. रकट. स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम पीचूपाडा कलों दिनांक: 20.05.2024 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार बांदीकुई प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 91 पुराना 90 खसरा नं. 1121/910 रकबा 0.15 हैक्टेयर स्थित ग्राम पीचूपाडा कलों तहसील बांदीकुई जिला दौसा का सीमाज्ञान दिनांक 20.05.2024 के अनुसार विधिवत पत्थरगढी मय राजस्व टीम मू. अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बांदीकुई से प्राप्त करें। थानाधिकारी बांदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहसीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

24/5/24 E-30.73
(रामरिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई